

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल - 462004

---: ॥ आदेश ॥:---

(नवीन पाठ्यक्रम/ नवीन कक्षा/ नवीन विषय हेतु)

भोपाल, दिनांक: 26/03/2026

क्रमांक: 457/ आउशि/ संबधता/ 2026: प्रदेश में सत्र 2026-27 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबधता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।
3. मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने ऑनलाइन पोर्टल पर "ऑनलाइन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 30/09/2025 निर्धारित की गई थी।
4. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।
5. संस्था द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये निर्धारित अवधि में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्र एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। भौतिक परीक्षण के समय आवेदन पत्र के अभिलेखों में कोई विसंगति पायी जाती है तो प्रदाय मान्य प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
6. संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किये गये दस्तावेजों के मिलान / परीक्षण उपरान्त एवम् आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरांत अशासकीय महाविद्यालय को नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय हेतु मान्य / अमान्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	बिंदु क्रमांक	अभिमत
1.	विश्वविद्यालय का नाम	RANI DURGA VATI UNIVERSITY, JABALPUR	
2.	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	VINDHYA SHIKSHA SAMITI	
3.	विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय का नाम एवं पता	BED2113 - VINDHYA SHIKSHA SIMITI COLLEGE, DIST. MANDLA INFRONT OF YOGIRAJ HOSPITAL, DINDORI ROAD, KHAIREE, MANDLA (M.P.)	
4.	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	NEW FACULTY:- B. SC. (ALL YEAR) CHEMISTRY, MATHEMATICS, PHYSICS B. B. A. (ALL YEAR) BBA	
5.	मान्य: नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	NEW FACULTY:- B. SC. (ALL YEAR) CHEMISTRY, MATHEMATICS, PHYSICS B. B. A. (ALL YEAR) BBA	
6.	अमान्य: नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	Null	

7. मूल आवेदन परीक्षणोंपरांत प्रथम चरण में संबंधित संस्था को आयुक्त, उच्च शिक्षा स्तर से जारी अमान्य प्रमाण पत्र प्रकरण हेतु जारी आदेश दिनांक से मार्गदर्शिका की कंडिका 7 एवं 7.1 के तहत संस्था द्वारा 15 दिवस में अद्यतन प्रमाणित दस्तावेजों के साथ रिव्यू हेतु शुल्क राशि रुपये 35000/- के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
8. संबंधित विश्वविद्यालयों में वर्तमान सत्रों के लिये सम्बद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तिथि से 07 दिवस होगी। अतः सम्बद्धता हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में समयसीमा में प्रस्तुत किया जाये।
9. मार्गदर्शिका के परिपालन में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के लिये अधिकतम 03 वर्ष तक मान्य होगा ।
10. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाये।
11. उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।
12. किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
13. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं मार्गदर्शिका में निहित समस्त प्रावधान / नियम का पालन संबंधित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”




(डॉ. मनीषा दुबे)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्र. 458/ आउशि/ संबद्धता/ 2026

भोपाल, दिनांक: 26/03/2026

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
 2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)।
 3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल (म.प्र.)।
 4. संबंधित अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय JABALPUR (म.प्र.)।
 5. संबंधित कुलसचिव, Rani Durga Vati University, Jabalpur, (म.प्र.)।
 6. प्राचार्य, संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, (म.प्र.)।
 7. संबंधित संस्था **BED2113 - VINDHYA SHIKSHA SIMITI COLLEGE, DIST. MANDLA** के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.